न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 08/2026

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. ईशराराम पुत्र रणजीता 2. उतमाराम पुत्र रणजीता 3. मेवाराम पुत्र रणजीता जातियान सुथार निवासीगण विश्वकर्मानगर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थी अधिवक्ता –श्री आम्बाराम पूनड़

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09/02/2026

प्रार्थी ईशराराम पुत्र रणजीता जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा नगर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त का खेत मौजा विश्वकर्मानगर पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि. सोनड़ी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1182/356 मूल रकबा 6–6449 हैक्टेयर (वर्तमान रकबा 6–5154 हैक्टेयर) में से रकबा 0–1295 हैक्टेयर जरिए समर्पण से प्रार्थीगण के सुविधा के लिए रास्ता कटाण के लिए प्रार्थीगण द्वारा सरकार को समर्पण कर दिया हैं, जो मौजा विश्वकर्मानगर, पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1188/356 रकबा 0–1295 हैक्टेयर का आया हुआ है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नक्शा ऑनलाईन करते वक्त उक्त भूमि जो रास्ते के लिए समर्पण की गई हैं, व मौके पर अलग जगह नक्शा की तरमीम है, जो हल्का पटवारी द्वारा बिना मौका देखे अलग जगह तरमीम कर रास्ता ... कर दिया है, जिसकी नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

जमाबंदी व नक्शा संलग्न है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण की ढाणियां, टांके, चारबाड़े व मौके पर रास्ता चल रहा है व मौके पर इसी अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त समर्पण की भूमि जो प्रार्थीगण के सुविधा अनुसार रास्ते के लिए कटाण मौके पर रास्ता भिन्न जगह चल रहा है, कि मौजा विश्वकर्मानगर पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1182/356 मूल रकबा 6–6449 हैक्टेयर(वर्तमान रकबा 6–5154) में से रकबा 0–1295 हैक्टेयर जरिए समर्पण से प्रार्थीगण के सुविधा के लिए रास्ता कटाण भूमि का हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक द्वारा नक्शा ऑनलाईन करते वक्त मौके पर चल रहा रास्ता से भिन्न लिपिकीय भूल से नक्शे में गलत तरमीम कर दी, ऐसी सूरत में हल्का पटवारी द्वारा बिना मौका देखे रेकर्ड ऑनलाईन करते वक्त नक्शे में गलत तरमीम व मौके से भिन्न स्थिति की तरमीम की गई है, कि उक्त ऑनलाईन नक्शे तरमीम व मौके से भिन्न स्थिति की तरमीम की गई है। उक्त ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम की जगह पर मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी बनी हुई है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए व मौका देखे बिना मौके पर चल रहे रास्ते के विपरीत मौके से भिन्न स्थिति की तरमीम अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित रास्ते अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करवाने का प्रार्थीगण हकदार होने से नक्शा दुरुस्त का प्रार्थना पत्र पेश है। अभी मौके पर चल रहा रास्ते अनुसार परिशिष्ट "अ" लाल कलर से दर्शाया गया है, जो प्रार्थीगण मौके पर चल रहे रास्ते की भूमि है। उक्त परिशिष्ट "अ" को अभिन्न अंग माना जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा विश्वकर्मानगर पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि. सोनड़ी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1182/356 मूल रकबा 6–6449 हैक्टेयर (वर्तमान रकबा 6–5154 हैक्टेयर) में से रकबा 0–1295 हैक्टेयर जरिए समर्पण से प्रार्थीगण के सुविधा के लिए कटाण रास्ता जो खसरा नम्बर 1188/356 रकबा 0–1295 हैक्टेयर को मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार तरमीम खसरे की किस्म गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

रास्ता करने व तरमीम परिशिष्ट 'अ' के अनुसार की जाकर नक्शा दुरुस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2026/51 दिनांक 15.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/265 दिनांक 22.01.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"मौके पर ग्राम विश्वकर्मा नगर तत्कालीन ग्राम शौभाला दशप्न के खसरा नम्बर 356 का बंटवाड़ा तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू.अ./806 दिनांक 09.12.2025 को जरिए नामांतरकरण 1110/10.12.2005 को किया गया। खसरा नम्बर 356 मौके पर विभाजन सही किया गया, बरंग सही दर्शाया गया है, परन्तु लट्ठा ट्रेस में अंकित करते समय लिपिकीय त्रुटि से परिशिष्ट 'अ' अनुसार किया गया जो कि मूल दस्तावेज बंटवाड़ा प्रपत्र अनुसार नहीं है। मौके पर कब्जा काश्त एवं दस्तावेज अनुसार परिशिष्ट 'ब' पूर्ण जांच कर तैयार किया गया। परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान को पढकर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाए गए।"**

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

08/2026 उनवान ईशराराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल शौभाला दर्शान के ग्राम विश्वकर्मा नगर के खाता संख्या नया 1 के खसरा नम्बर 1188/356 रकबा 0–1295 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2026 के संलग्न दर्शित परिशिष्ट "ब" अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2026/265 दिनांक 22.01.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.01.2026, खसरा नक्शा, परिशिष्ट 'ब' व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 265 दिनांकः— 22.01.2026

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 08 / 2026 अनवान ईशराराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत 131,136 ACT 1956 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 08 / 2026 अनवान ईशराराम बनाम तहसीलदार सेड़वा में मौजा शोभाला दर्शान के खसरा 356 की अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू. अ. निरीक्षक सोनड़ी द्वारा दिनांक 21.01.2026 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश गई । जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

आज दिनांक 21/01/2026 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन क्रमांक : कोर्ट/2026/51 दिनांक 15/01/026 राजस्व ~~वाद~~ वाद 08/2026 अनवान ईशाराराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 Act 1956 एवम् तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक/भू. अ./170-171 दिनांक 16/01/026 कि पालना मे हल्का पटवारी शौभालाऽशनि के साथ मौके पर पहुंचा।

मौके पर ग्राम विश्वकर्मानगर तत्कालीन ग्राम शौभालाऽशनि के खसरा नम्बर 356 का बंटवारा श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक/भू. अ./806/9.12.2025 को जरिये नामान्तरण 1110/10.12.2005 को किया गया खसरा नम्बर 356 मौके पर विभाजन नहि किया गया बेरंग नहि दर्शाया गया है. परन्तु लट्ठा ट्रेस मे अंकित करते समय लिपिकिय त्रुटि से परिशिष्ट 'अ' अनुसार किया गया जो कि मूल दस्तावेज बंटवारा प्रपत्र अनुसार नहि है।

मौके पर कब्जा काश्त एवम् दस्तावेज अनुसार परिशिष्ट 'ब' पूर्ण जांच कर तैयार किया गया। परिशिष्ट 'क' अनुसार तरमीन ~~दुरुस्त~~ दुरस्त किया जाना उचित है।

फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान को पढ़कर सुनाई गयी व हस्ताक्षर करवाये गये।

संलग्न :- बटवारा दस्तावेज
नामान्तरण प्रति
जमाबंदी-चौसाला

(हस्ताक्षर)
22/01/2026
ILR सेड़वा

(हस्ताक्षर)
(मांगीलाल माजु)
पटवारी (भू.अ.) शोभालाऽशनि
तहसील सेड़वा

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट-'अ'

मान - 1" 80 गज

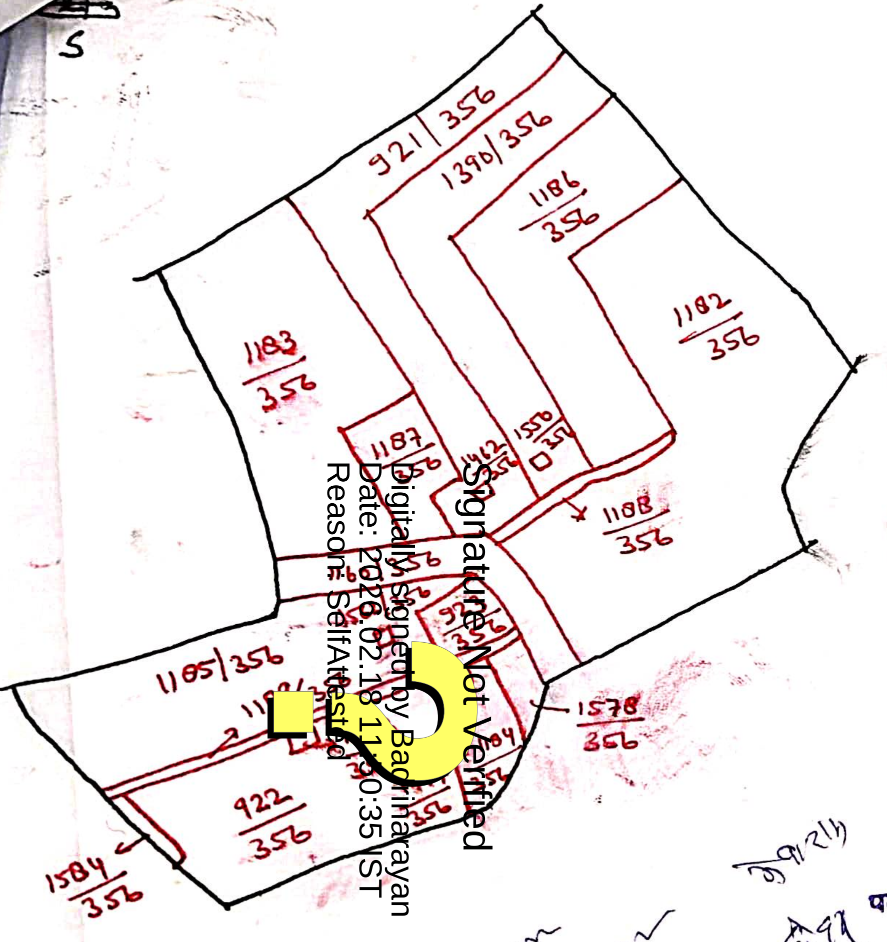

2

परिशिष्ट-'ब'

पुष्टि कराएं

SDO, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

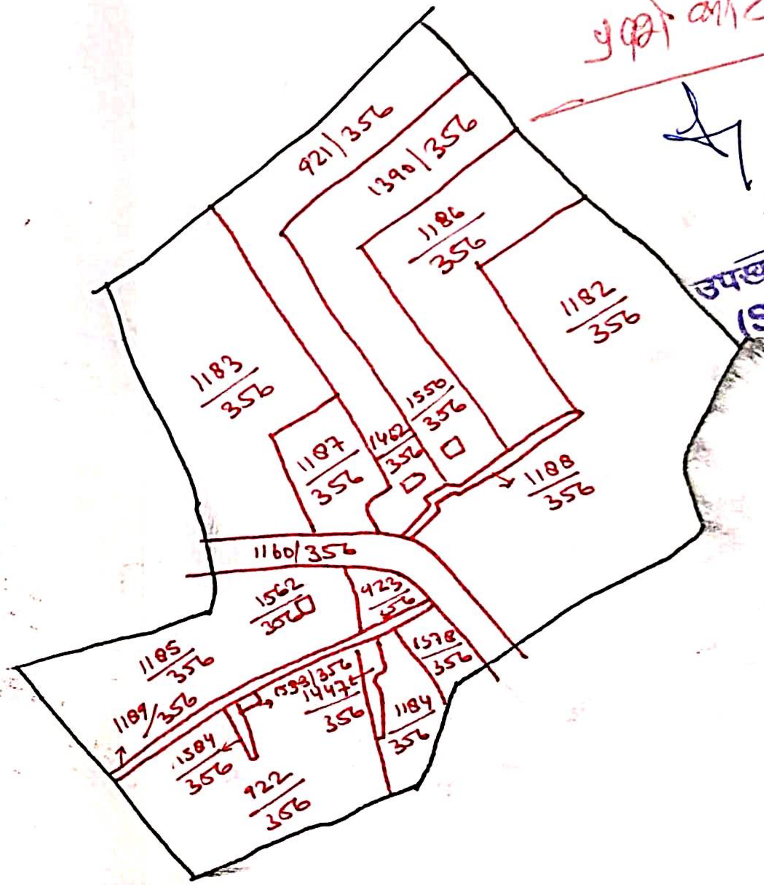

मांगीलाल मांजू
पटवारी (भू.अ.)
तहसील सेड़वा

22/01/2026
ILR सेड़वा

नायब तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested